रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 211] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 1980/आषाढ़ 26, 1902
No. 211] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 1980/ASADHA 26, 1902

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1980

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 429(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 106 सीमा-शुल्क, तारीख 28 मई, 1980 को अधिक्रान्त करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है,

सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दूसरी अनुसूची के शीर्ष सं. 1 के अधीन आने वाली कॉफी को, जब उसका निर्यात भारत से बाहर किया जाए, उक्त दूसरी अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के भाग से छूट देती है जो प्रति क्विंटल 500 रुपये से अधिक है ।

[सं. 143/फा. सं. 347/7/78-टी. आर. यू.]

टी. आर. रुस्तगी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 17th July, 1980

NOTIFICATION

CUSTOMS

G.S.R. 429(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 106-Customs, dated the 28th May, 1980, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coffee, falling under Heading No. 1 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of Rs. 500 per quintal.

[No. 143/F. No. 347/7/78-TRU]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980